न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नैनवां, जिला बून्दी (राज0)

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
6/5/25	पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उप०। अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 5 की तामील बाबत रिपोर्ट प्राप्त। बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने से उनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जाती है। प्रतिवादी/अप्रार्थी सं. 1 की अदम तामील प्राप्त। पत्रावली बाबत अप्रार्थी सं. 1 का तलबाना पेश होने में तलबी जारी हो। अप्रार्थी सं. 6 लगायत 9 की ओर से जवाबी प्रा. पत्र (शीघ्र सुनवाई) पेश किया गया। नकल दिलायी गई। आ. मिसल किया जावे। पत्रावली बाबत अप्रार्थी सं. 1 का तलबाना पेश होने पर तलबी के दिनांक 14.5.25 को पेश हो।	
14.5.25	पत्रावली आज पेश हुई। वकील पक्षकारान उप०। अप्रार्थी सं. 1 की तामील प्राप्त। अप्रार्थी सं. 6 लगायत 9 अधिवक्ता द्वारा जवाब प्रा.पत्र पेश किया। नकल दिलायी जाकर शा० मिसल किया। साथ ही अप्रार्थी सं. 6 लगायत 9 अधिवक्ता द्वारा प्रा.प० अन्तर्गत धारा 10 सपठित धारा 151 CPC पेश किया जाकर दस्तावेजो की सूची मय Section 10 & 151 CPC तथा T.I संबंधित रूलिंग पेश की। शा.मि० किया जावे। अप्रार्थी सं. 1 बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने से इनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जाती है। प्रार्थना पत्र T.I पर बहस सुनी गई। प्रार्थीगण विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित भूमि ख.न. 147 रकबा 1.3753 हैक्टर, ख.न. 232 रकबा 1.1002 हैक्ट०, ख.न. 432 रकबा 0.0243 हैक्टर, ख.न. 467 रकबा 0.2427 हैक्ट०, खसरा नम्बर 510 रकबा 0.1861 हैक्ट०, खसरा नम्बर 60 रकबा 2.1358 हैक्ट०, ख.न. 61 रकबा 1.2054 हैक्ट० कुल किता 7 कुल रकबा 6.2698 हैक्ट० भूमि पर प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण 2 लगायत 5 खातेदार कृषक है जो आराजी पर संयुक्त रूप से काबिज काश्त है। प्रार्थीगण के अपने हिस्से मुताबिक	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नैनवां, जिला बून्दी (राज.)

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर अहकाम हुक्म की मैं जारी
	आराजी को हांक-जोत कर तैयार किया था लेकिन अप्रार्थीगण सं 6 लगायत 9 ने दिनांक 9/6/2024 की रात्रि मे चोरी छीपे ट्रैक्टर से खसरा नम्बर 61 की भूमि को हांक करके भाग गए। दुसरे दिन जब प्रार्थीगण को पता लगा तो प्रत्यार्थी सं 6 लगायत 9 से कहने पर प्रत्यार्थीगण कहने लगे कि जमीन तो हम छीनकर रहेंगे और दुसरे दिन वापस भूमि पर खरार करने लगे तो प्रत्यार्थीगण आए व मारपीट करने की धमकियां देकर वापस चले गए। प्रत्यार्थीगण अब भी कब्जा करने पर आमादा है अतः निवेदन है कि प्रत्यार्थीगण 6 लगायत 9 को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद इस आशय से करमाया जावे कि वह प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 मे वर्णित भूमि के किसी भी हिस्से पर व खसरा नं. 61 पर जबरन कब्जा नही करे व साथ ही प्रार्थीगण को उसके हिस्से मुताबिक भूमि से बेदखल नही करे एवं प्रार्थीगण के खेती कार्य मे रुकावट नही करे। जिस पर अप्रार्थीगण क्र. 6 लगायत 9 के विद्वान अधिवक्ता द्वारा बहस मे जवाब प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थना पत्र की चरण सं. 1 मे वर्णित भूमि ख. नं. 61 पर विगत 10 वर्षों से निरन्तर निर्बाध रूप से अप्रार्थीगण सं. 6 लगायत 8 का कब्जा काश्त चला आ रहा है। यह भूमि पूर्व मे प्रार्थी सं. 3 बादशाह के पारिवारिक सहमति से हिस्से मे आई हुई थी जिसे बादशाह ने अप्रार्थी क्र. 6 जयराम को के सन् 2014 मे रहन रख दिया था और कब्जा संभलवाया था। उसके बाद दिनांक 30/5/2018 को बादशाह ने पुनः भूमि ख.नं. 61 को दो लाख रुपये मे रहन रखा था और रहन की राशि प्राप्त कर भूमि पर कब्जा संभला दिया था। इस	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नैनवां, जिला बून्दी (राज0)

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	संबंध में बादशाह ने दिनांक 1-8-2018 को उक्त भूमि रहन इकरारनामा 100/- के स्टाम्प पर लिखवाकर व टाईप करवाकर अपने हस्ताक्षर कर गवाहान की गवाही करवाकर निष्पादित कर दिया था। उक्त इकरारनामे में प्रार्थी बादशाह ने यह इकरार किया था कि एक वर्ष बाद रहन की रकम अदा कर भूमि को रहन मुक्त करवा लूंगा। यदि 1 वर्ष बाद भी रहन की राशि अदा नहीं करूं तो भूमि आपके रहन चलती रहेगी। इसके अतिरिक्त प्रार्थी बादशाह ने 1/8/2018 को ही अप्रार्थी जयराम से 2,00,000/- रुपये 2/- रुपये प्रति सैंकड़ा प्रतिमाह ब्याज दर से उधार लिये थे। उक्त रहन की राशि व उधार ली गयी राशि को प्रार्थी बादशाह ने अभी तक जयराम को अदा नहीं किए। इस प्रकार प्रार्थीगण ने मिलीभगत कर तथ्यों को छुपाते हुए झूठा व निराधार प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। साथ ही निवेदन किया कि न्यायालय श्रीमान न्यायिक मजिस्ट्रेट महोदय नैनवां के एक परिवाद अन्तर्गत धारा 420,406 आई.पी.सी. में पुलिस थाना करवर ने अनुसंधान के पश्चात एफ.आर. 61 पर दिनांक 1/8/2018 से अप्रार्थी जयराम का निरंतर कब्जा माना है। इस तरह प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रा.प. T.I किसी भी रूप में पोषणीय नहीं होने से खारिज फरमाये जाने योग्य है। हमने विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया। अप्रार्थी नं. 6 लगायत 9 अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत प्रा.प. को अस्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रा.पत्र T.I स्वीकार किया जाता है। तथा प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित भूमि ख.नम्बर 147 रकबा 1.3753 हे.ए., ख.नं. 232 रकबा	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नैनवां, जिला बून्दी (राज

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर अहलकार हुक्म में जा
	1.1002 हैक्टे., ख.नं. 432 रकबा 0.0243 हैक्टे., ख.नं. 467 रकबा 0.2427 हैक्टे., ख.नं. 510 रकबा 0.1861 हैक्टे., ख.नं. 60 रकबा 2.1358 हैक्टे. एवं ख.नं. 61 रकबा 1.2054 कुल किता 7 कुल रकबा 6.2698 हैक्टे. भूमि पर जबरन कब्जा नहीं करने, प्रार्थीगण को भूमि से बेदखल नहीं करने बाबत प्रत्यार्थीगण 6 लगायत 9 को मूल वाद के निस्तारण होने तक अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर मूल वाद के साथ संलग्न हो।	